संख्या-7/2026-162/83-2026-26सी0डी0/11

प्रेषक,

संयुक्ता समद्दार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा,
उ0प्र0।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊः दिनांक 12 जून, 2026

विषयः वेतन समिति (2008) द्वारा राजकीय विभागों के स्टोर कीपर संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के फलस्वरूप वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 03 जुलाई, 2013 में उल्लिखित व्यवस्था का नागरिक सुरक्षा विभाग में कार्यान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि वेतन समिति (2008) द्वारा राजकीय विभागों के स्टोर कीपर संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर स्टोर कीपर संवर्ग का त्रिस्तरीय संवर्गीय ढ़ांचा (सहायक स्टोर कीपर, स्टोर कीपर तथा वरिष्ठ स्टोर कीपर) में रखे जाने के लिये गये निर्णय के फलस्वरूप वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 का शासनादेश संख्या-वे0आ0-2/467ए/दस-54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 03.07.2013 निर्गत किया गया है।

2- अतएव उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 03.07.2013 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार नागरिक सुरक्षा विभाग के स्टोरमैन/स्टोरकीपर संवर्ग का त्रिस्तरीय ढ़ांचा निम्न तालिका के अनुसार रखे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

संशोधन के पूर्व व्यवस्था		संशोधन के उपरान्त व्यवस्था			
क्र0 सं0	उ0प्र0 नागरिक सुरक्षा विभाग में प्रचलित संवर्गीय ढांचा/ पदनाम/ वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	संशोधित पदनाम	संशोधित वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	संवर्ग में विद्यमान कुल पदों की संख्या का प्रतिशत	भर्ती की विधि
1	2	3	4	5	6

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1.	स्टोरमैन/स्टोरकीपर रु0 3050-4590 (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/-)	सहायक स्टोर कीपर	(i) वर्तमान पदधारकों को तत्काल प्रभाव से वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2000/- (ii) सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थी की सर्वप्रथम वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 1900/- में नियुक्ति। उपरोक्तानुसार नियुक्त कार्मिक द्वारा किसी प्रतिष्ठित संस्था से कम्प्यूटर संचालन में डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने पर वेतन रु0 2000/- अनुमन्य होगा।	50%	85 प्रतिशत सीधी भर्ती हेतु अर्हता इण्टरमीडिएट तथा हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गयी। 15 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों, जिन्होने इस रूप में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो तथा हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो से पदोन्नति द्वारा।
2.	भण्डार अधीक्षक श्रेणी-2 रू० 4000-6000 (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/-)	स्टोर कीपर	वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/-	30%	07 वर्ष की सेवा वाले सहायक स्टोर कीपर पदधारकों में से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
3.	भण्डार अधीक्षक श्रेणी-1 रु0 4500-7000 (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/-)	वरिष्ठ स्टोर कीपर	वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/-)	20%	स्टोरकीपर के रूप में 05 वर्ष की सेवा वाले पदधारकों अथवा संवर्ग में कुल 12 वर्ष की सेवा वाले स्टोरकीपर पदधारकों में से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

3- उपर्युक्तानुसार सेवा नियमावली में संशोधन की कार्यवाही पृथक से यथासमय व यथाप्रक्रिया कर ली जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपर्युक्तानुसार पदनाम/वेतनमान/पदों की संख्या का प्रतिशत/भर्ती की विधि का संशोधन नागरिक सुरक्षा विभाग की व्यवस्थाओं में यथासंशोधित समझा जायेगा।

5- उपर्युक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- E-12-485-X-2025-26 दिनांक-12/02/2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
संयुक्ता समद्दार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/नियंत्रक, समस्त नागरिक सुरक्षा जनपद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, समस्त नागरिक सुरक्षा जनपद।
9- कमाण्डेंट, केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0, लखनऊ।
10- उप नियंत्रक/प्रभारी उप नियंत्रक, समस्त नागरिक सुरक्षा जनपद।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार राय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।